

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड II में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/34/2016-अ.भा.से.-1

भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग


\*\*\*\*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक: 26 मई, 2017

**अधिसूचना**

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा त्रिपुरा और राजस्थान राज्य सरकारों की सहमति से केंद्र सरकार, एतद्वारा श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, आईएएस (टी.आर.:2016) का दिनांक 14.2.2014 की शारीरिक विकलांगता (पीएच) नीति के आधार पर त्रिपुरा संवर्ग से राजस्थान संवर्ग में संवर्ग परिवर्तन के प्रस्ताव को अनुमादन करती है।

  
(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 011-23094142

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)